संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग,हाथरस।

पत्राँक 7397/14–1, दिनाँकः हाथरसःजूनः 30 ,2016

सेवा में,

डिविजलन मैनेजर, (यू0पी0 वैस्ट)
एस्सार ऑयल लि0 ए–5 सैक्टर–3,
नोएडा।

विषय :– जनपद हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0 102) कि0मी0 44.250 की वांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या–10/2,11/2 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सर्म्पक मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु वरिर्वतन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0पी0 /06/18/2016/एफ0सी0/111 दिनांक 15.06.2016

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र केक्रम में जनपद हाथरस में मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0 102) कि0मी0 44.250 की वांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या–10/2,11/2 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सर्म्पक मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन दी गयी है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन एवं निर्देशों के कम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तो सम्बन्धि अनुपालन कार्यवाही करने की मॉग की जाती है।

<u>शर्त संख्याः–1</u> प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अवनत वनभूमि पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0 271300.00 (दो लाख इकहेत्तर हजार तीन सौ रूपये मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस–बी0–25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) ब्लॉक–11 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस–1 लौधी रोड नई दिल्ली–110003 के पक्ष में ई–पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से धनराशि जमा कर प्राप्ति की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।

<u>शर्त संख्याः–2 (क)</u> प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) एवं दूसरी सभी निधियों को प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस–बी0–25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) ब्लॉक–11 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस–1 लौधी रोड नई दिल्ली–110003 के पक्ष में ई–पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से धनराशि जमा कर पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का मद वार विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करें।

<u>शर्त संख्याः–2 (ख)</u> *प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) की धनराशि 6,26,000.00 की दर से 0.0579×6,26,000.00 = 36246.00 (छत्तीस हजार दो सौ छियालीस रूपये मात्र) प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस–बी0–25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) ब्लॉक–11 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस–1 लौधी रोड नई दिल्ली–110003 के पक्ष में ई–पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से धनराशि जमा कर प्राप्ति की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।*

<u>शर्त संख्याः–2 (ग)</u> *प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आश्य का बचन बद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्व होगा इस हेतु बचन बद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।* अतः उपरोक्त शर्तो की परिपूर्ण एवं बिन्दुबार सुस्पष्ट अनुपालन अख्या एवं ई–पोर्टल मॉडयूल के माध्यम से धनराशि जमा कर पावती की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

<u>पत्रांक /14–1, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।